

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

प्रपत्र सं०—.....

पी० आर० सं०.....

प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) हेतु दर का निर्धारण के लिये इच्छा की

अभिव्यक्ति प्रपत्र

इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदन प्राप्ति की तिथि : 23.02.2024 से 04.03.2024 तक,

इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदन प्राप्ति एवं

जमा करने का स्थान

: मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची-2,

इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदन जमा

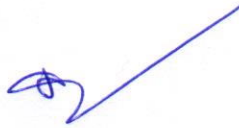
करने की अंतिम तिथि :

06.03.2024 को 2.00 बजे अपराह्न तक,

इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदन खोलने

की तिथि :

06.03.2024 को 3.00 बजे अपराह्न,



इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र निर्गत।

हस्ताक्षर

प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में मत्स्य प्रभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) हेतु दर का निर्धारण किया जाना है। प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) हेतु इच्छुक आवेदनकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जिलों में राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभाव सम्मूल्यान कराया जाएगा। मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जिलों में आवेदक फर्म द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत लाभुकों का स्थल निरीक्षण/प्रभाव सम्मूल्यान के अन्तर्गत लाना होगा।

आवेदन तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबन्द कर दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में जमा किया जायेगा। लिफाफे के उपर संबंधित विषय एवं आवेदनकर्ता का नाम, पता, ईमेल एवं मोबाईल नं० साफ-साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक मुहरबंद लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड"/"तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता के ही वित्तीय बीड खोले जाएंगे।

आवेदन करने से संबंधित शर्तें निम्नांकित हैं :-

क). प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (Assessment Year- 2022-23 and 2023-24) का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अनुभव :

आवेदनकर्ता को मात्स्यिकी कार्यक्रमों का अन्य राज्यों में एतद् सदृश्य किये गये प्रभाव सम्मूल्यान (Impact Assessment) अथवा मूल्यांकन का 03 (तीन) मूल्यांकन अनुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अथवा

झारखण्ड की योजनाओं का कम से कम 02 (दो) प्रभाव सम्मूल्यान/मूल्यांकन तथा अन्य राज्य का 01 (एक) मूल्यांकन अनुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. आवेदनकर्ता को अग्रधन के रुप में निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो० 50,000.00 (पचास हजार) रु० का राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदनकर्ता के संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख). प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को वित्तीय बीड मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। राशि अंक एवं अक्षर दोनों में लिखा/टंकित होना चाहिए।
2. अंकित राशि सभी कर/चार्ज/सरचार्ज सहित होगी। राशि अंकन में ओभरराइटिंग/कटिंग रहने पर संबंधित आवेदनकर्ता के वित्तीय बीड पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदनकर्ता द्वारा एक जिला हेतु राज्य एवं केन्द्रीय मत्स्य योजनाओं के प्रभाव का सम्मूल्यन हेतु राशि अंकित करना होगा।

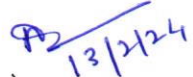
ग). प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) हेतु अन्य शर्तें :-

1. प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) हेतु दर का निर्धारण के लिये इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र आवेदनकर्ता द्वारा मत्स्य निदेशालय से पंजीकृत कर प्राप्त किये जायेंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
3. वित्तीय बीड खोले जाने के पूर्व आवेदनकर्ता को योजनाओं के प्रभाव सम्मूल्यन के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिये जाने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। इस हेतु तैयारी होनी चाहिये। इसके पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ता को उनकी प्रस्तुती के आधार पर सम्मूल्यन की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निदेश भी दिए जा सकते हैं।
4. प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) हेतु आवेदनकर्ता को स्वयं के खर्च पर वाहन/आवासन/स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करनी होगी।
5. प्रभाव सम्मूल्यन हेतु मत्स्य निदेशालय द्वारा जिला का निर्धारण किया जायेगा। जिलों के भ्रमण आदि पर व्यय स्वयं आवेदनकर्ता को करना होगा।
6. प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) का प्रारम्भिक प्रतिवेदन कार्यादेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर देना होगा।
7. प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) हेतु मत्स्य निदेशालय स्तर पर मैनपावर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
8. प्रभाव सम्मूल्यन (Impact Assessment) का अंतिम प्रतिवेदन कार्यादेश निर्गत की तिथि से 01 (एक) माह में जमा करना होगा।
9. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन असफल सभी आवेदनकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सफल आवेदनकर्ता का अग्रधन बिना ब्याज के वापस किया जायेगा।
10. कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रभाव सम्मूल्यन कार्य नहीं कर पाने/कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।



11. निदेशालय स्तरीय विशेष निविदा समिति को वार्ता (Negotiation) कर दर निर्धारित करने का अधिकार होगा।
12. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
13. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
14. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
15. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय विशेष निविदा समिति को होगा।
16. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।




13/2/24
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची.